फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी– बन्ना खां

वाद संख्या : 532/2016

प्रतिवादी– बजरंग व अन्य

निर्णय दिनांकः 19.05.2017

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		:–निर्णयः– आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बावजूद नोटिस तामील अनु0। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 फोर्मल पक्षकार है जिनके विरूद्व वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 56 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 57/1 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा ग्राम दतूली, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी व प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। आराजीयात अविभाजित है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी आराजीयात को बिना तकासमा करवाये बेचान करने पर आमादा है इस कारण आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार तकासमा करवाया जावे। प्रतिवादी सं. 7 व 8 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। वर्तमान में आराजीयात अविभाजित है जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद रहता है जिसके निस्तारण के लिये वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 56 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 57/1 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा ग्राम दतूली, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात का पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अथवा मौका कब्जा सहमति अनुसार तकासमा किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री नक्शे कुरैजात दो–दो प्रतियो में तैयार कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.09.2017 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	

Scanned by CamScanner